कार्यालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़

क्रमांक/राजस्व/विद्या./12–3(25)08/549 दिनांक : 28/04/2015

आदेश

जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) पदेन जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चित्तौड़गढ़ द्वारा पत्र दिनांक 20.04.2015 एवं 24.4.15 से ब्लॉक मुख्यालय पर मॉडल स्कूल (सीनियर सेकेण्ड़री स्कूल) के लिये ग्राम भैंसरोड़गढ़ तह. रावतभाटा एवं ग्राम मुरोली तह. राशमी में आवंटित की गई भूमियों को उपयुक्त नहीं होने से परिवर्तित कर अन्य उपयुक्त भूमि आवंटन का अनुरोध किया जाने पर संबंधित उपखण्ड़ अधिकारियों से अन्य भूमि का चयन कर प्रस्ताव भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।

उपखण्ड़ अधिकारी, रावतभाटा एवं राशमी के द्वारा निम्न ग्रामों में उनके नाम के सम्मुख अंकित चारागाह/बिलानाम भूमियों को मॉड़ल स्कूल (सीनियर सकेण्ड़री स्तर) के लिये आवंटित किये जाने के नवीन प्रस्ताव मानक प्रारूप में अभिशंषा के साथ प्रेषित किये हैं।

क्र.स.	प्रयोजन	ग्राम/ तहसील	आराजी संख्या	रकबा हैक्टेयर में	आवंटन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल हैक्टेयर में	चारागाह की क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित राजकीय बिलानाम भूमि क्षेत्रफल हैक्टेयर में	
1	मॉड़ल स्कूल (सीनियर सेकेण्ड़री स्तर)	दीपपुरा तह. रावतभाटा	242 चारागाह	16.09	04.00	241	2.80
2	मॉड़ल स्कूल (सीनियर सेकेण्ड़री स्तर)	हरनाथपुरा (राशमी)	464 चारागाह	44.15	2.80	चारागाह की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम में बिलानाम भूमि नहीं हैं।	

राजस्थान भू–राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, धर्मशालाओं, चिकित्सालयों एवं अन्य सार्वजनिकोपयोगी भवनों के निर्माणार्थ राजकीय भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के नियम 2 (c), एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना दिनांक 26.04.2011 द्वारा जारी संशोधन अनुसार राजकीय सेकेण्डरी/सीनियर सेकेण्ड़री विद्यालयों के भवन एवं खेल मैदान हेतु 7 एकड़ तक भूमि आवंटन किये जाने के प्रावधान हैं। प्रमुख शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र कमांक/प.10(3)राज–6/2001/15 दिनांक 17.4.2013 से राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 7 के प्रावधान अनुसार विहित सीमा तक चारागाह भूमियों का आवंटन राजकीय विभागों को केवल राजकीय प्रयोजन के लिये किये जाने के अधिकार जिला कलक्टर को प्रदत्त किये हैं।

अतः उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा एवं राशमी से प्राप्त प्रस्ताव अनुसार इस कार्यालय से जारी पूर्व आदेश कमांक/राजस्व/12–3(25)08/1464 दिनांक 16.12.2009 से ग्राम भैंसरोड़गढ़ की बिलानाम आ.सं. 693 रकबा 9.81 में से 0.51, आ.सं. 694 रकबा 3.33 है. मे से 2.82 है. एवं आ.सं. 695 रकबा 2.17 है. में से 0.71 है. कुल किता 3 रकबा 4.04 है. भूमि के आवंटन को निरस्त कर पुनः बिलानाम एवं आदेश कमांक/राजस्व/12--3(25)08/130 दिनांक 16.02.2010 से ग्राम मुरोली तह. राशमी की चारागाह आ.सं. 762 रकबा 411 बीघा में से 10 एकड़ भूमि के आवंटन आदेश को निरस्त कर पुनः चारागाह में दर्ज की जाने के लिये राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के प्रावधानों के अन्तर्गत चारागाह/बिलानाम आरक्षित की जाती है। तहसीलदार पूर्वानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करे।

क्र. सं.	प्रयोजन	ग्राम / तहसील	आराजी संख्या	रकबा हैक्टेयर में	आवंटन किया जाने वाला क्षेत्रफल हैक्टेयर में	चारागाह की क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित राजकीय बिलानाम भूमि क्षेत्रफल हैक्टेयर में	
1	2	3	4	5	6	7	
1	मॉडल स्कूल (सीनियर सेकेण्डरी स्तर)	दीपपुरा तह. रावतभाटा	242 चारागाह	16.09	2.80	241	2.80
2	मॉडल स्कूल (सीनियर सेकेण्डरी स्तर)	हरनाथपुरा (राशमी)	464 चारागाह	44.15	2.80	चारागाह की क्षतिपूर्ति हेतु ग्राम में बिलानाम भूमि नहीं है	

उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा एवं राशमी की अनुशंषा एवं राज्य सरकार द्वारा जारी उक्त निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 की धारा 7 के प्रावधानों के अन्तर्गत उक्त टेबल कम संख्या 1 एवं 2 पर अंकित ग्रामों में प्रस्तावित क्षेत्रफल की भूमि में से कॉलम संख्या 6 में अंकित भूमि को चारागाह से खारिज करते हुऐ राजस्थान भू राजस्व (स्कूलों, कॉलेजों, धर्मशालाओं, चिकित्सालयों एवं अन्य सार्वजनिकोपयोगी भवनों के निर्माणार्थ राजकीय भूमि का आवंटन) नियम, 1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित ब्लॉक के मॉड़ल स्कूल (सीनियर सेकेण्डरी स्तर) के भवन एवं खेल मैदान हेतु रास्ते के मध्य से नियमानुसार दूरी छोड़ते हुऐ शिक्षा विभाग के पक्ष में 99 वर्ष की लीज पर निःशुल्क आवंटित की जाती है एवं उक्त कम सं. 1 पर अंकित ग्राम में चारागाह की क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित राजकीय बिलानाम आ.सं. को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 92 के प्रावधानों के अन्तर्गत सार्वजनिक चारागाह हेतु आरक्षित की जाती है। आवंटित / आरक्षित भूमि का उपयोग आवंटन / आरक्षण प्रयोजन से भिन्न नहीं किया जावेगा। तहसीलदार उक्तानुसार आवंटित 2.8 है. भूमि को नक्शें में तरमीम कर नक्शा ट्रेस की प्रति इस कार्यालय को भिजवाते हुऐ राजस्व रिकार्ड में अंकन के साथ–साथ नक्शें में आवश्यक तरमीम करें।

जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़

प्रतिलिपि : सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. उपखण्ड अधिकारी, रावतभाटा / राशमी
2. जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक) एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, चित्तौड़गढ
3. अधिशाषी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चित्तौड़गढ़
4. तहसीलदार, रावतभाटा / राशमी
5. सरपंच, ग्राम पंचायत, झरझनी, पंचायत समिति, भैंसरोड़गढ़
6. सरपंच, ग्राम पंचायत हरनाथपुरा..... पंचायत समिति, राशमी
7. आदेश पंजिका

28/5/2015
जिला कलक्टर,
चित्तौड़गढ़